न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं04, जनपद अमरोहा।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2254/2022
CNRNo-UPJB010060512022

मौ0 उमर पुत्र इमामुददीन, निवासी ग्राम पपसरा, थाना गजरौला, जिला अमरोहा।

प्रार्थी/अभियुक्त **बनाम** उत्तर प्रदेश सरकार।

आदेश

11.10.2022– प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 उमर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

वह मुकदमा अपराध सं0–282/2020, थाना ए.पी.टी. जिला अमरोहा के मामले में धारा 138बी. विद्युत अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

पैरोकार मुकदमा कसीम पुत्र मौ0 यासीन ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र कहा है।

संक्षेप में मामले के तथ्य है कि ''दिनांक 25.08.2020 को वादी मुकदमा अजय कुमार अवर अभियन्ता 33/11 के.वी. उपकेन्द्र कुमराला गजरौला द्वारा हमराहीगण के साथ समय करीब 8.00 बजे मौ0 उमर पुत्र इमामुददीन निवासी ग्राम पपसरा खादर थाना गजरौला के संयोजन जिसको दिनांक 10.01.2020 को बकाया धनराशि जमा ना करने पर अवर अभियन्ता द्वारा विच्छेदित कर दिया गया था को चैक करने पर उपभोक्ता पुनः विद्युत का प्रयोग करते हुए पाया गया''। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

जमानत प्रार्थना पत्र में व बहस के समय अभियुक्त/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि ''प्राथमिकी बिलंब से लिखायी गयी है, जनता का कोई साक्षी नही है, वह कनैक्शनधारी है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है और वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त एक कनेक्शन धारी उपभोक्ता है और अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2022.10.11 15:47:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त मौ0 उमर द्वारा 20,000/—रू0 (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—4
अमरोहा।